

प्रेषक,

सिविल जज (सी०डि०),  
मीरजापुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिवन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
मीरजापुर।

**विषय:—तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार-I, द्वारा किये गये वर्ष 2021–2022 के Overall Assessment तथा Remark के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी जनपद मीरजापुर में दिनांक 13.04.2021 से कार्यरत है। प्रार्थी Self Assessment Period दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान दिनांक 01.04.2021 से 12.04.2021 तक अपर सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2021 में वार्षिक स्थानान्तरण के अनुक्रम में जनपद मीरजापुर में स्थानान्तरित होकर दिनांक 13.04.2021 से 09.03.2022 तक अपर सिविल जज (सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर, के पद पर तथा दिनांक 10.03.2022 से 31.03.2022 तक सिविल जज (सी०डि०), मीरजापुर, के पद पर कार्यरत रहा है। प्रार्थी को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय श्री शिव कुमार-I द्वारा दिये गये वर्ष 2021–2022 के Overall Assessment तथा Remark प्रार्थी द्वारा प्रेषित Self Assessment तथा प्रार्थी द्वारा किये गये कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा दिये गये स्वयं के Remark के सम्बन्ध में निवेदन निम्नवत है—

1. माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने Remark कॉलम संख्या 1(g) (iii) में प्रार्थी द्वारा सुलह-समझौते के आधार पर निर्णीत किये गये सिविल वादों की संख्या को निल दिखाया गया है, जो असत्य है। जबकि प्रार्थी द्वारा 11 सिविल वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया गया है, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

2. माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने Remark कॉलम संख्या 2 में प्रार्थी का Overall Assessment, “Good” देते हुए Remark कॉलम संख्या 4 में यह अंकन किया गया है कि Officer have Criminal and Civil jurisdiction but only one case of Criminal related to Section 138 N.I. Act. has disposed off. Mostly quota has claim from miscellaneous work.

इस सम्बन्ध में प्रार्थी ससम्मान निवेदन करना चाहता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया अंकन पूरी तरह से असत्य है। सत्यता यह है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021–2022 में अन्य सिविल वादों के अलावा 07 आपराधिक वादों का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया गया है। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी मुख्य रूप से अपर सिविल जज (सी०डि०) के रूप में कार्यरत था, जहां पर अधिकांश सिविल वादों की सुनवाई की जाती थी। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी द्वारा 07 आपराधिक वादों का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया गया है, जिसे तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न दर्शित करते हुए केवल 01 आपराधिक वाद दर्शित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिये गये अपनी प्रवृत्ति के कॉलम

1(g) में प्रार्थी द्वारा 11 कन्टेस्टेड वादों का निस्तारण दर्शित किया गया है, जिसका अवलोकन किया जाना प्रार्थनीय है।

3. प्रार्थी द्वारा Self Assessment अवधि के दौरान तथा इसके पूर्व भी कठिन परिश्रम, लगन व ईमानदारी से कार्य किया गया है। प्रार्थी द्वारा एकचुअल टारगेटेड 580.08 यूनिट के सापेक्ष में 1660.98 यूनिट कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने Remark कॉलम में स्वयं की प्रवृष्टि सं०-1 (g) में किया गया है। उपरोक्त अंकन माननीय न्यायालय के E-service of judicial Officers Paortal पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रेषित Self Assessment के बिन्दु संख्या 15 का अवलोकन किया जाना प्रार्थनीय है।

4. इसी अनुक्रम में महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021-2022 में 5 साल से पुराने कुल 440 वादों का तथा 10 साल से पुराने 284 वादों का निस्तारण किया गया है, जो अभिलेख का विषय है तथा माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने Remark कॉलम 1 (e)(iii) में इसकी पुष्टि की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रेषित Self Assessment के बिन्दु संख्या-2(a)(iv) का Annexure (vii) तथा 2(b)(ii) का Annexure (ix) का अवलोकन किया जाना प्रार्थनीय है।

5. इसी अनुक्रम में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन करना है कि वर्ष 2021-2022 में कोविड-19 के प्रभाव के कारण माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई तथा जनवरी, फरवरी, 2022 में सीमित रूप से न्यायिक कार्य होते रहे हैं, फिर भी प्रार्थी द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य किया गया है तथा पुराने वादों का अधिक-से-अधिक निस्तारण किया गया है, परन्तु जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021-2022 में किये गये कार्यों की अनदेखी करते हुए न सिर्फ Overall Assessment में प्रार्थी को "Good" दिया गया है, अपितु Remark कॉलम संख्या-4 में इस तथ्य का अंकन कि प्रार्थी द्वारा सिर्फ 01 आपराधिक वाद निर्णीत किया गया है तथा अधिकांश कोटा प्रकीर्ण कार्य से लिया गया है, तथ्यों के गलत विश्लेषण पर आधारित है, जो स्थिर होने योग्य नहीं है।

6. महोदय से विनम्र निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिये गये Remark कॉलम संख्या-4 के बने रहने से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा जो कोटा क्लेम किया गया है, वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी यूनिट सिस्टम के आधार पर है।

7. अतः माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा Remark कॉलम संख्या 4 में दिये गये Remark (टिप्पणी) को निरस्त करने की कृपा करें। साथ ही यदि माननीय महोदय प्रार्थी द्वारा प्रेषित Self Assessment में वर्णित कार्यों से सन्तुष्ट हों, तो माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने Overall Assessment में किये गये "Good" के अंकन को उन्नयन (Upgrade) करने हेतु प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर प्रेषित!

दिनांक: 04-06-2022

भवदीय,

(रत्नम् श्रीवास्तव)

सिविल जज (सी०डि०),

मीरजापुर।

संलग्नक:- यथोपरि!